पत्रावली संख्या : 09/2026 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

[illegible] सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

1. विजय कुमार (मालिक/विक्रेता) पुत्र वेदप्रकाश मैसर्स विजयकुमार एण्ड ब्रदर्स बट्टा मार्केट बयाना भरतपुर निवासी स्कूल न02 के पास सूरोठ जिला करौली।
2. सन्नी (नोमिनी) पुत्र रामपाल मैसर्स Demigod Agra Food Private Limited, plot no 62-63& 43 sector 8a IIE sideul Haridwar 24903 निवासी पीओ कम्भोजरा कन्सेपुर सहारनपुर बेहट(उ0प्र0)
3. मैसर्स Demigod Agra Food Private Limited, plot no 62-63& 43 sector 8a IIE sideul Haridwar 24903

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायलान स्वयं

निर्णय

दिनांक : 25.03.2026

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायलान दिनांक 25.03.2026 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 25.03.2026 को गैरसायल संख्या 01 व अन्य के प्रतिनिधि श्री विजयकुमार उपस्थित। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायलान को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 19.03.2025 को दोपहर 3.30 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स विजयकुमार एण्ड ब्रदर्स बट्टा मार्केट बयाना भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त दुकान पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु दुकान में रखी हुई 200—200 मिली की लगभग 80 बोतल Ready to serve fruit beverage mango drink (Demi's) रखी हुई पाई गई। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट एलएस/241/एक्ट/2025/261 दिनांक 02.04.2025 द्वारा उक्त Ready to serve fruit beverage mango drink (Demi's) का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

Sign. of Food Business Operat

1. Witnesses
2. Witnesses

PM/24-25/2392/2T(1)

Food) प्रकृति का Ready to serve fruit beverage mango drink (Demi's) विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii)का उल्लंघन किया गया है।

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल संख्या 01 व कम्पनी के प्रतिनिधि श्री विजय कुमार ने मौखिक कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स विजयकुमार एण्ड ब्रदर्स बट्टा मार्केट बयाना भरतपुर से Ready to serve fruit beverage mango drink (Demi's) की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण भरतपुर की जॉच रिपोर्ट में अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। उक्त Ready to serve fruit beverage mango drink (Demi's) की जांच रिपोर्ट में हानिकारक माना जाकर अवमानक स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल की यह प्रथम गलती है, जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडेक्ट का विक्रय करेगा। इसलिये गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 19.03.2025 को दोपहर 3.30 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स विजयकुमार एण्ड ब्रदर्स बट्टा मार्केट बयाना भरतपुर दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की फर्म पर आम जनता के विक्रय दुकान में दुकान में रखी हुई 200–200 मिली की लगभग 80 बोतल Ready to serve fruit beverage mango drink (Demi's) पाया गया खाद्य विश्लेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट एलएस/241/एक्ट/2025/261 दिनांक 02.04.2025 द्वारा उक्त Ready to serve fruit beverage mango drink (Demi's) का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ स्तर (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडेक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायलान को दी जाती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायलान के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर गैरसायल संख्या 01 को 15000 तथा गैरसायल संख्या 2 व 3 को 35000 कुल राशि 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)